HARYANA GOVERNMENT
EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

NOTIFICATION

The 24th November, 2004

No. S.O. 259/H.A.13/2000/S.3/2004.- In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Haryana Local Area Development Tax Act, 2000 (Act 13 of 2000), and in supersession of Haryana Government, Excise and Taxation Department, Notification No. S.O. 12/H. A.13/2000/S.3/2004, dated the 22nd January, 2004, the Governor of Haryana hereby specifies the following rates of tax on entry of goods (except those specified in Schedule A appended to the said Act) into a local area for consumption or use therein, with effect from the date of publication of this notification in Official Gazette.-

Serial. No.	Description of goods	Rate of tax (in percent)
1	2	3
(1)	Aviation turbine fuel, Petrol	20
(2)	Diesel	12
(3)	The goods of the description given below for consumption or use as fuel:-	
	(i) Naptha	12
	(ii) Natural gas	4
	(iii) Petroleum based fuels other than those specified above in this entry or entry (1) and (2) above.	10
(4)	Crude Oil	4
(5)	Goods other than those specified at serial numbers (1) to (4) above.	2

Explanation.-1. For the purpose of entry at serial number (1) 'petrol' means any inflammable hydrocarbon oil (excluding crude oil) which either by itself or in admixture with any other substance, is suitable for use as fuel in spark ignition engines.

2. For the purpose of entry at serial number (2) 'diesel' means any inflammable hydrocarbon oil (excluding crude oil) which either by itself or in admixture with any other substance, is suitable for use as fuel in engines other than spark ignition engines.

3. For purpose of entry at serial number 3 (iii) 'petroleum based fuels' include crude oil or residue left after its distillation, when consumed or used as fuels.

L.S.M. Salins
Financial Commissioner and Principal Secretary to
Government, Haryana, Excise and Taxation Department.

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 24 नवम्बर , 2004

संख्या का0 आ0 259/ ह0 आ0 13/ 2000/ धा0 3/ 2004.— हरियाणा स्थानीय क्षेत्र विकास कर अधिनियम, 2000 (2000 का अधिनियम 13) की धारा 3 की उप— धारा (1) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों, का प्रयोग करते हुए तथा हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या का0 आ0 12/ ह0 अ0 13/ 2000/ धा0 3/ 2004, दिनांक 22 जनवरी, 2004, के अधिक्रमण में, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, स्थानीय क्षेत्र में उपभोग या उपयोग के लिए माल (उक्त अधिनियम से संलग्न अनुसूची क में विनिर्दिष्ट के सिवाए) के प्रवेश पर इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से निम्नलिखित दरें विनिर्दिष्ट करते हैं, अर्थात्ः—

क्रम संख्या	माल का विवरण	कर की दर (प्रतिशत में)
1	2	3
(1)	विमान टरबाईन ईन्धन, पैट्रोल	20
(2)	डीज़ल	12
(3)	नीचे वर्णित माल जो इंधन के रूप में उपभोग अथवा उपयोग होः—	
	(i) नापथा	12
	(ii) प्राकृतिक गैस	4
	(iii) पैट्रोलियम आधारित ईंधन, इस प्रविष्टि में उपरोक्त विनिर्दिष्ट अथवा उपरोक्त प्रविष्टि (1) और (2) में विनिर्दिष्ट से भिन्न	10
(4)	कच्चा तेल	4
(5)	उपरोक्त क्रम संख्या (1) से (4) पर विनिर्दिष्ट माल से भिन्न माल	2

व्याख्याः—

1. क्रम संख्या 1 पर प्रविष्टि के प्रयोजन के लिए 'पैट्रोल' का अर्थ है कोई भी ज्वलनशील हाईड्रोकार्बन तेल (कच्चे तेल को छोड़कर) जो स्वंय या किसी अन्य पदार्थ में मिश्रित होने पर स्पार्क इगनिशन इंजनों में ईन्धन के रूप में उपयोग के लिए उपयुक्त है।
2. क्रम संख्या (2) पर प्रविष्टि के प्रयोजन के लिए 'डीजल' का अर्थ है कोई भी ज्वलनशील हाईड्रोकार्बन तेल (कच्चे तेल को छोड़कर) जो स्वंय या किसी अन्य

पदार्थ में मिश्रित होने पर स्पार्क इगनिशन इंजनों से भिन्न अन्य इंजनों में ईन्धन के रूप में उपयोग के लिए उपयुक्त है।

3. क्रम संख्या 3 (iii) पर प्रविष्टि के प्रयोजन के लिए 'पैट्रोलियम आधारित ईन्धनों' में सम्मिलित है कच्चा तेल अथवा इसकी डिस्टीलेशन उपरांत बचा अवशेष जब यह ईन्धन के रूप में उपभोग अथवा उपयोग किया जाता है ।

एल.एस.एम. सैलिंस
वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग ।